विवरणी

12/9/2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार पतरस खड़िया पिता - मंगरा खड़िया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के पोता विजय टेटे द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम सरसभोंगरा, खाता सं० 15 प्लॉट सं० __ रकबा 1.95 ए० वर्ष 2015-16 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान विजय टेटे अपना लिखित कथान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमावन्दीदार के नाम से जमावन्दी कायम होने का आधार एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने जमावन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पतरस खड़िया पिता - मंगरा खड़िया, ग्राम - सरसभोंगरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमावन्दी संदिग्ध/अवैध जान पडता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
सरसभोंगरा	59	15	—	1.95 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रॉची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner